राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईडलाईन/2019/पार्ट–1/56002 जयपुर, दिनांक 2 SEP 2020

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को दैनिक टास्क पूर्ण कर पूर्ण मजदूरी के संबन्ध में।
संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 31.8.2010, 20.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों में दैनिक मजदूरी दर अत्यधिक कम आने की स्थिति में कार्यों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि उक्त निर्देशों की पालना नही की जा रही है। कार्य स्थल पर मेट द्वारा दैनिक माप नहीं की जा रही व कनिष्ठ तकनीकी सहायकों द्वारा ही पखवाडें के अंत में एक साथ माप कर सभी श्रमिकों को औसत मजदूरी का भुगतान किया गया है।

श्रमिकों द्वारा टास्क अनुसार कार्य पूर्ण कर पूरी मजदूरी प्राप्त किए जाने के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

- कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा पखवाडे के (पांचवे से आठवे दिन के) दौरान भी कार्य स्थल पर निरीक्षण किया जावे।
- कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा पखवाडे के दौरान श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारी (उनके समक्ष मापकर) दी जावे ताकि श्रमिकों द्वारा टास्क अनुसार कार्य पूर्ण किया जा सके। साथ ही मस्टर रोल के पृष्ठ भाग पर इन्द्राज किया जावे।
- कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा मेट को भी इस संबंध में उचित मार्गदर्शन दिया जावे।
- मेट द्वारा श्रमिकों को दैनिक टास्क दिये जाने, श्रमिकों द्वारा टास्क पूर्ण करने तथा उक्तानुसार दैनिक माप कर श्रमिकों को जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करावें।
- मेट द्वारा अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्व कार्यवाही कि जावे।
- कार्य स्थल पर समस्त श्रमिकों की एक औसत मजदूरी/कम मजदूरी दर होने की स्थिति में तथा निरीक्षण नही किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संबन्धित मेट एवं ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ सहायक के विरूद्व कार्यवाही की जाये।
- कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी कार्यों की प्रगति के दौरान लगातार निरीक्षण किए जावे तथा श्रमिकों एवं मेट से इस संबंध में चर्चा की जावें एवं पूरा टास्क करने हेतु प्रेरित किया जावे। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(पी0सी0किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
4. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।
5. श्री रिंकू छीपा, एमआईएस को बवसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
6. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner